कार्यवृत्त
सोमवार, 22 आषाढ़, शक संवत्, 1931
(दिनांक 13 जुलाई, 2009 ई0)

खण्ड-26
अंक-1

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत ''वन्दे मातरम्'' गान के साथ आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-310 के अन्तर्गत 04 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री दिनेश अग्रवाल तथा श्री केदार सिंह रावत की है, जो देहरादून में अंशु नौटियाल हत्याकाण्ड से सम्बन्धित हैं।

दूसरी सूचना माननीय सदस्य, श्री यशपाल आर्य, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल तथा श्री रणजीत सिंह रावत की है, जो हल्द्वानी स्थित डा0 सुशीला तिवारी हास्पिटल में संविदा पर कार्यरत श्रमिकों द्वारा जहर पीने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं।

तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्रीमती अमृता रावत तथा श्री बलवीर सिंह नेगी की है, जो देहरादून में 03 जुलाई, 2009 को लाडपुर के जंगल में श्री रणवीर से पुलिस की कथित मुठभेड़ से सम्बन्धित हैं तथा

चौथी सूचना माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ तथा श्री गोपाल सिंह राणा की है, जो पन्तनगर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा छठे वेतनमानों की संस्तुतियों को लागू करने के लिए हड़ताल के सम्बन्ध में है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि विषयों की गम्भीरता को देखते हुए वह इन्हें नियम-58 में सुन लेंगे। नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर सभी विपक्ष के सभी सदस्य दी गई सूचनाओं के विषयों को नियम-310 के अन्तर्गत ही सुने जाने की मांग करते हुए 'वेल' में आकर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष द्वारा सदस्यों से आसन ग्रहण किए जाने के लिए बार-बार अनुरोध करने पर भी 'वेल' में खड़े सदस्य अपने-अपने स्थान पर नहीं गये और नारेबाजी करने लगे, जिससे घोर व्यवधान होता रहा। **घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा 11 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गयी।**

11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 11 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

11 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

12 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी सदस्य पुनः 'वेल' में आकर नियम-310 में दी गई सूचना पर चर्चा किए जाने की मांग करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के ही मध्य आज नियम-300 के अन्तर्गत सूचना के लिए श्री नारायण पाल का नाम पुकारा गया किन्तु उनके द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) अध्यादेश, 2009 को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने राजधानी स्थल चयन आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार का प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य सचिव, विधान सभा ने पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को पारित किया गया और जो 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ, को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि :-

(1) उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 02 मार्च, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2009 का दूसरा अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 मार्च, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2009 का तीसरा अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 मार्च, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2009 का चौथा अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 अप्रैल, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2009 का पाँचवा अधिनियम बन गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा कार्यसूची की मद संख्या-11, 12, 13 तथा 14 जो याचिकाओं के उपस्थापन से सम्बन्धित थी, को स्थगित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) अध्यादेश, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 11 जुलाई, 2009 की बैठक में दिनांक 13 जुलाई, 2009 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः-

<u>जुलाई, 2009</u>

13 (सोमवार)	(1) औपचारिक कार्य।
	(2) विभिन्न प्रतिवेदनों का सदन के पटल पर रखा जाना।
	(3) उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (**एक घण्टा**)

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुई, जो अस्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा कार्यसूची की मद संख्या-22 तथा 23 पर अंकित उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण की मद को माननीय संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर स्थगित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत दो सूचनाऐं प्राप्त हुई है, उनमें से राज्य के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पत्राचार बी0टी0सी0 शिक्षकों को राजकीय सेवाओं में समायोजन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचना अस्वीकृत हुई।

सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
हरबंस कपूर,
अध्यक्ष,
विधान सभा।